संख्या-404/2026/नौ-5-2026/001-Computer No-2059557

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त, 2026

विषयः- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रथम अपील संख्या-117/2026 उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं गुलाम रसूल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2026 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या-3021/मु0अ0/राम0/कोर्टकेस दिनांक 20.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद प्रथम अपील संख्या-117/2026 उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं गुलाम रसूल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2026 के अनुपालन में **रू0 2,28,87,578.00 (रू0** दो करोड़ अटठाइस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ अट्ठहत्तर मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से करते हुए आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यो पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यो पर व्यय नहीं की जायेगी।
4. व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्य तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31.03.2027 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,28,87,578 (रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख सत्तासी हजार पाँच सौ अठहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808000900 मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
DEVESH MISHRA
Date: 27-08-2026 12:36:11

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव

Arun ji-Go-2026-27-VC

9-5002(002)/94/2026-नगर विकास अनुभाग-5-Urban Development Department

संख्या-404/2026/नौ-5-2026/001-Computer No-2059557, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2-महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3-मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर ।
4-मुख्या कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ ।
5-कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, कानपुर ।
6-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8-नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
9-वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10-मुख्य अभियन्ता (राम गंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0 98-कैनाल कालोनी, फूलबाग, कानपुर।
11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
12-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13-अनुभाग अधिकारी, नगर विकास अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
14-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव

Arun ji-Go-2026-27-VC

9-5002(002)/94/2026-नगर विकास अनुभाग-5-Urban Development Department

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन /स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A009-20262027-Reapp-2059557 Court order

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था' योजना के मानक मद-42 हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2215011010600 (पेयजल हेतु व्यवस्था)	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	7,00,00,00,000 रुपये सात अरब मात्र	6,00,68,93,000 रुपये छह अरब अड़सठ लाख तिरानबे हजार मात्र	- 28,88,000 रुपये अट्ठाईस लाख अट्ठासी हजार मात्र	28,88,000 रुपये अट्ठाईस लाख अट्ठासी हजार मात्र	6,99,71,12,000 रुपये छह अरब निन्यानबे करोड़ इकहत्तर लाख बारह हजार मात्र	2026 - 2027

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808000900 (मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था)	42 (अन्य व्यय)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	28,88,000 रुपये अट्ठाईस लाख अट्ठासी हजार मात्र	28,88,000 रुपये अट्ठाईस लाख अट्ठासी हजार मात्र	2,28,88,000 रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख अट्ठासी हजार मात्र	2026-2027

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक- 2215011010600 (पेयजल हेतु व्यवस्था) में धनराशि उपलब्ध है।

(2) स्तम्भ-8 में अंकित लेखाशीर्षक- 2217808000900 (मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था) के मानक मद -42 में धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

आर.ई.संख्या-बजट-1-43, दिनाँक 14.07.2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

Digitally signed by
DEVESH MISHRA
Date: 27-08-2026 12:35:29

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक।

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 287/नौ-5-2026-Computer No-2059557 दिनांक-15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- नगर विकास अनुभाग-7/कम्प्यूटर सेल/गार्ड बुक।

आज्ञा से

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव।